

अध्याय III

पेट्रोलियम, तेल तथा स्नेहक उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

3.1 प्रस्तावना

पेट्रोलियम क्षेत्र के तहत कवर किये गए खनिज ईंधन, खनिज तेल तथा उनके आसवन के उत्पाद, बिटुमिनस पदार्थ तथा खनिज मोम को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 के अध्याय 27 के तहत वर्गीकृत किया गया है। इन उत्पादों को व्यापक रूप से इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, (i) कच्चा तेल (ii) तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) एण्ड (iii) पेट्रोलियम, तेल एवं स्नेहक (पीओएल) उत्पाद। जहाँ कच्चा तेल तथा एलएनजी प्राकृतिक रूप से प्राप्त किये जाते हैं, वही पीओएल उत्पाद परिष्करण/विनिर्माण के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं। वि. व. 14 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से कुल निवल राजस्व प्राप्तियों में, पेट्रोलियम क्षेत्र का भाग 50 प्रतिशत से अधिक था।

3.2 पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्क संरचना

वित बिल 2005 में, एमएस एवं एचएसडी के संबंध में शुल्क संरचना को शुल्क की पिछली यथामूल्य दर के बदले में शुल्क की विशिष्ट तथा यथामूल्य दरों के संयोजन में परिवर्तित किया गया था। मार्च 2008 से पेट्रोल एवं डीजल पर उत्पाद शुल्क दरों को विशिष्ट बनाया गया था। नाफथा, फर्नेस ॲयल, कम सल्फर, भारी स्टॉक इत्यादि जैसे उत्पाद अन्तिम उपयोग के आधार पर शुल्क योग्य एवं छूट प्राप्त दोनों हैं। 31 मार्च 2014 को मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों पर केन्द्र सरकार द्वारा लगाये गए शुल्क नीचे दिये गये हैं:

तालिका-3.1

क्रम सं.	उत्पाद का नाम	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क
1	कच्चा तेल	शून्य + एनसीसीडी के रूप में ₹ 50/एमटी	शून्य + एनसीसीडी के रूप में ₹ 50/एमटी तथा उपकर के रूप में ₹ 45,00/एमटी
2	पेट्रोल	2.5 प्रतिशत	₹ 9.48/लीटर
3	डीजल	2.5 प्रतिशत	₹ 3.56/लीटर
4	सुपीरियर केरोसीन तेल (पीडीएस)	शून्य	शून्य
5	सुपीरियर केरोसीन तेल (गैर पीडीएस)	5 प्रतिशत	14 प्रतिशत
6	घरेलू रसोई गैस	शून्य	शून्य
7	गैर घरेलू रसोई गैस	5 प्रतिशत	8 प्रतिशत
8	फर्नेस ऑयल	5 प्रतिशत	14 प्रतिशत
9	नाफ्था	5 प्रतिशत	14 प्रतिशत
10	एटीएफ	शून्य	8 प्रतिशत

3.3 पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण

केन्द्र सरकार संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों (डीजल, घरेलू तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) केरोसीन) के मूल्यों को नियंत्रित करती है। रंगराजन समिति की रिपोर्ट के आधार पर जून 2006 से डीजल का मूल्य व्यापार समतुल्यता मूल्य (टीपीपी) के अनुसार निर्धारित है, जो आयात समतुल्यता मूल्य (आईपीपी) का 80 प्रतिशत तथा निर्यात समतुल्यता मूल्य (ईपीपी) का 20 प्रतिशत है। पारेख समिति की सिफारिश के अनुसार जून 2010 से, पेट्रोल का मूल्य भी बाजार द्वारा निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, 19 अक्टूबर 2014 से डीजल का मूल्य भी बाजार द्वारा निर्धारित है। सरकार राष्ट्रीय तेल कम्पनियों हारा उत्पादित प्राकृतिक गैस का मूल्य निर्धारित करती है। संवेदनशील उत्पादों एवं प्राकृतिक गैस से अलग शेष उत्पादों का मूल्य प्रशासित मूल्य तंत्र के तहत संबंधित उत्पादक एवं विक्रेता निर्धारित करते हैं।

3.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

- लेखापरीक्षा का उद्देश्य
- i. पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित उत्पाद शुल्क के उदग्रहण, निर्धारण तथा संग्रह के संबंध में समय समय पर जारी किये गए नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों/निर्देशों/व्यापार ज्ञापनों की पर्याप्तता तथा अनुपालन सुनिश्चित करना;
 - ii. क्या विधि के मौजूदा प्रावधानों का पर्याप्तता से अनुपालन किया जा रहा है;
 - iii. क्या वहाँ एक प्रभावशाली निगरानी तथा आन्तरिक नियंत्रण तंत्र था।

3.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र तथा कवरेज

लेखापरीक्षा के लिए, हमने 35 आयुक्तालय तथा उन आयुक्तालयों के अन्तर्गत कार्य कर रहे कुछ सहायक कार्यालयों का चयन किया। लेखापरीक्षा ने जांच की कि क्या चयनित आयुक्तालयों, डिविजन तथा रेज कार्यालयों में आन्तरिक नियंत्रण तंत्र यथास्थान थे एवं प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रहे थे।

निर्धारितियों द्वारा दर्ज कराए गए उत्पाद शुल्क रिटर्नों की संवीक्षा के माध्यम से रेज कार्यालय स्तर पर अनुपालना जाँच तंत्र की प्रभावशीलता की नमूना जांच की गई थी। विभागीय कार्यालयों तथा कुछ चयनित निर्धारितियों के परिसरों दोनों में शुल्क के उचित निर्धारण एवं उदग्रहण तथा संग्रह हेतु अभिकल्पित नियमों एवं विनियमों के अनुपालन की नमूना जाँच की गई थी।

2010-11 से 2012-13 की अवधि कवर की गई थी। हमने अगस्त 2014 में मंत्रालय को मसौदा रिपोर्ट जारी की।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हमने छूट की अनियमित प्राप्ति, बकाया की वसूली ना होना, शुल्क का भुगतान कम/ना होना, सेनेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति इत्यादि के मामले देखे जिनमें ₹ 7.12 करोड़ का राजस्व शामिल है। विभाग ने ₹ 4.44 करोड़ के राजस्व वाली लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2014) तथा इसकी वसूली की। मुख्य निष्कर्षों पर आगे चर्चा की गई है:

3.6 शुल्क का भुगतान न करना/कम करना

3.6.1 विभिन्न बिन्दुओं पर कच्चे तेल पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (एनसीसीडी का उद्ग्रहण)

हमने देखा कि जिस परिमाण पर एनसीसीडी लगाया गया है, वह सभी आयुक्तालयों में एक समान नहीं है। जयपुर ॥ मैं मै. कायरन इण्डिया लिमिटेड के मामले में प्रोसेसिंग टर्मीनल से प्रेषित सकल मात्रा पर एनसीसीडी का भुगतान किया गया था जबकि तिरुचिरापल्ली आयुक्तालय में मै. ओएनजीसी के मामले में, रिफाइनरियों द्वारा प्राप्त की गई निवल मात्रा पर एनसीसीडी का भुगतान किया गया था, ना कि निर्धारिती द्वारा तेल क्षेत्र से प्रेषित सकल मात्रा पर। विभिन्न बिन्दुओं पर एनसीसीडी के उद्ग्रहण की भिन्न भिन्न पद्धति के परिणामस्वरूप एनसीसीडी का अधिक/कम उद्ग्रहण हुआ।

विभिन्न आयुक्तालयों में विभिन्न बिन्दुओं पर एनसीसीडी के उद्ग्रहण में भिन्नता को सुधारात्मक उपायों के लिए विभाग के संज्ञान में लाया गया था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

3.6.2 पाईपलाइन हस्तांतरणों में इन्टरफेस एसकेओ पर उत्पाद शुल्क

पाईपलाइनों के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति पम्पिंग की उत्पाद दर उत्पाद कार्यपद्धति के द्वारा की जाती है तथा ऐसी स्थिति में एक उत्पाद के साथ दूसरा मिल जाना अपरिहार्य है। तथापि, एक उत्पाद के लेखांकन को योजना में, इन्टरफेस उत्पाद (मिश्रित उत्पाद) पर भुगतान योग्य शुल्क अलग होगा। अतः बोर्ड ने दिनांक 22 अप्रैल 2002 के परिपत्र सं. 636/27/2002 सीएक्स में स्पष्ट किया था कि पाईलाईन हस्तारण के समय उत्पादों के मिश्रित हो जाने की स्थिति में, दोनों शुल्कों में से उच्चतर अर्थात् वाँछित उद्देश्य हेतु प्रयोग ना किये गए सुपीरियर केरोसीन तेल (एसकेओ) पर भुगतान योग्य शुल्क तथा तीव्रगति डीजल अथवा मोटर स्पीरिट पर भुगतान योग्य शुल्क, मिश्रित/इन्टरफेस मात्रा के लिए भुगतान योग्य होगा। अन्य शब्दों में एसकेओ एवं एचएसडी अथवा एमएस और नाफ्था जैसा की मामला हो, के

मिश्रित भाग के शुल्क की गणना की जानी चाहिए तथा दोनों मूल्यों में से उच्चतर को जमा किया जाना चाहिए।

3.6.2.1 मै. बीपीसीएल-कोच्ची रिफाइनरी ने तीन अधिष्ठापनों पर एसकेओ (पीडीएस) के प्रेषण एवं प्रासि की मात्राओं में अन्तर से संबंधित डाटा प्रस्तुत किया (जुलाई 2008 से दिसम्बर 2012 तक की अवधि के लिए बीपीसीएल अधिष्ठापन के संबंध में तथा जनवरी 2008 से आईओसीएल तथा एचपीसीएल अधिष्ठापनों के संबंध में)।

लेखापरीक्षा ने दिनांक 29 जुलाई 2013 के कारण बताओ जापन से देखा कि यह जुलाई 2008 से प्रारंभ अवधि के लिए बीपीसीएल-कोच्ची रिफाइनरी से एचपीसीएल तथा आईओसीएल अधिष्ठापनों को प्रेषित एसकेओ (पीडीएस) की इन्टरफेस मात्राओं से संबंधित था। हांलाकि बीपीसीएल अधिष्ठापनों के संबंध में अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2012 की अवधि के लिए ₹ 68.81 लाख वाले इसी मुद्दे को कारण बताओ जापन में शामिल नहीं किया गया था जो माँग ना उठाने की और संकेत करता है।

इसके अतिरिक्त, निर्धारिती के गणना पत्र पर विश्वास करते हुए मै. बीपीसीएल-केआर को कारण बताओ जापन जारी किया गया था जिसमें मिश्रित मात्रा के संबंध में शुल्क की गणना एचएसडी तथा एसकेओ के संबंध में दोनों शुल्कों में से उच्चतर की गणना करने के बजाए अकेले एचएसडी के आधार पर की गई थी। इसके परिणामस्वरूप जुलाई 2008 से दिसम्बर 2012 की अवधि के लिए ₹ 14.55 लाख की कम माँग हुई।

विभाग द्वारा विलम्बित पहचान के कारण, आईओसीएल तथा एचपीसीएल अधिष्ठापनों को केवल जुलाई 2008 से आगे की अवधि के लिए एससीएन जारी किये गए थे। आईओसीएल तथा एचपीसीएल के संबंध में जनवरी 2008 से जून 2008 तक के छह महीनों के लिए काल बाधित हो गया शुल्क ₹ 7.91 लाख बनता था। इसके अतिरिक्त, आयुक्तालय द्वारा बीपीसीएल अधिष्ठापन के संबंध में, नापथा तथा एमएस के पाईपलाईन हस्तांतरण के दौरान इन्टरफेस नापथा पर उच्चतर शुल्क पर भी विचार नहीं किया गया था। अतः आयुक्तालय की तरफ से कार्यवाही ना होने के कारण शुल्क की माँग नहीं की जा सकी थी।

हमने अक्टूबर 2013 में यह बताया था, मंत्रालय/आयुक्तालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

3.6.2.2 गुवाहाटी आयुक्तालय में, मै. इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि. (आईओसीएल) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि एमएस तथा एचएसडी उत्पादों के मिश्रित होते समय एसकेओ दोनों 'उत्पादों' के बीच इन्टरफेस के रूप में पाईपलाईन डिलीवरी के माध्यम से विभिन्न स्थानों के लिए जाता है। इसके अतिरिक्त, इन्टरफेस उद्देश्य के लिए इस प्रकार प्रयुक्त एसकेओ हल्दिया, गुजरात, पानीपत, मथुरा तथा बरौनी स्थित विभिन्न आईओसीएल रिफाइनरियों से पाईपलाईन के माध्यम से पीडीएस केरोसीन के रूप में आता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि क्योंकि पीडीएस केरोसीन गैर-पीडीएस उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया था, निर्धारिती ने दिनांक 13 मई 2012 की छूट अधिसूचना (अर्थात् उत्तर पूर्वी क्षेत्र को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से सामान्य दर की 50 प्रतिशत की छूट दी गई है) का लाभ प्राप्त करने के बाद इन्टरफेस केरोसीन के लिए शुल्क का भुगतान किया था तथा गैर पीडीएस केरोसीन के रूप में 7 प्रतिशत यथामूल्य (प्रचलित दर) की दर पर शुल्क का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि चूँकि केरोसीन उत्तर पूर्वी क्षेत्र से बाहर स्थित विभिन्न आईओसीएल रिफाइनरियों से निर्मित एवं स्वीकृत था, उक्त रिफाइनरियों द्वारा पूरी प्रचलित दर पर उत्पाद शुल्क का भुगतान किया जाना था जो 12 प्रतिशत थी जहाँ से केरोसीन पीडीएस उद्देश्य से प्रयोग हेतु शुल्क की 'शून्य' दर पर स्वीकृत किया गया था परन्तु अन्ततः गैर-पीडीएस उद्देश्य से प्रयोग किया गया।

जब हमने इसे बताया (जनवरी 2013) तब आयुक्तालय ने उत्तर दिया (नवम्बर 2013) कि उक्त पाँच रिफाइनरियाँ जहाँ से एसकेओ प्रारम्भ से ही निकासी किया गया था वहाँ 2011-12 के दौरान किए गए निकास के लिए ₹ 3.42 करोड़ की राशि के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान ब्याज सहित किया गया (अप्रैल-मई 2013 में)।

3.6.3 स्क्रैप की निकासी पर शुल्क

प्रयोग के पश्चात पूँजीगत माल से सृजित स्क्रैप पर शुल्क लगता है। इस तथ्य से कि आयात पर ऐसे माल पर सेनवेट प्राप्त नहीं किया गया था, ऐसे पूँजीगत माल के प्रयोग से सृजित स्क्रैप पर शुल्क के उदग्रहण के संबंध में स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता।

त्रिच्छी आयुक्तालय में मै. ऑयल एण्ड नैचुरल गैस (ओएनजीसी) ने 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान ₹ 3.75 करोड़ की राशि का विविध स्टील स्क्रैप (अध्याय 72) तथा बेकार तेल (अध्याय 27) बेचा। तथापि, ऐसे निराकरणों पर भुगतान योग्य ₹ 41.88 लाख की राशि के शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था जैसा कि तीन वर्षों के लिए ईआर 1 विवरणियों से सत्यापित किया गया। इस राशि के उदग्रहण तथा ब्याज सहित संग्रह की आवश्यकता है।

हमने दिसम्बर 2013 में इसे बताया था, मंत्रालय/आयुक्तालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

3.7 सेनवेट क्रेडिट की प्राप्ति

3.7.1 सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 2(1) इनपुट सेवा की इस प्रकार व्याख्या करता है:-

“ (क) आउटपुट सेवा के प्रदाता द्वारा एक आउटपुट सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त तथा (ख) अन्तिम उत्पादों के विनिर्माण एवं निकास के स्थान तक अन्तिम उत्पादों की मंजूरी में अथवा के संबंध में, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक विनिर्माता द्वारा प्रयुक्त” परन्तु ऐसी सेवा को शामिल नहीं करता जो आउटडोर केटरिंग, सौन्दर्य उपचार, स्वास्थ सेवाएँ, कारस्मेटिक एवं प्लास्टिक सर्जरी, एक कल्ब की सदस्यता, स्वाथ्य तथा फिटनेस केन्द्र, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा इत्यादि के संबंध में उपलब्ध कराई गई।

मै. इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, पानीपत रिफानरी ने रोहतक आयुक्तालय में 2012-13 में कुछ सेवाओं जैसे होटल, क्लब, आरामगृह सेवा, कैन्टीन चलाने तथा सामान्य हाऊसकीपिंग सेवाओं पर ₹ 11.39 लाख की राशि का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया तथा प्रयोग किया जो उपरोक्त नियम के अनुसार

इनपुट सेवाओं के दायरे में नहीं आती थीं। अतः उपरोक्त सेवाओं पर प्राप्त/प्रयुक्त सेनवेट क्रेडिट अनियमित था तथा ब्याज सहित लौटाया जाना चाहिए।

हमने अक्टूबर 2013 में यह बताया था, मंत्रालय/आयुक्तालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

3.7.2 सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 2(1), वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 के खण्ड (105) के उप-खण्ड (पी) (जेडएन) (जेडजेडएल), (जेडजेडएम), (जेडजेडक्यू), (जेडजेडजेडएच), (जेडजेडजेडजेडए) में विनिर्दिष्ट सेवाओं को इनपुट सेवा के दायरे से बाहर करता है यदि वे एक भवन अथवा एक सिविल ढाँचे अथवा इसके एक भाग के निर्माण एवं पूँजीगत माल की सहायतार्थ ढाँचे के निर्माण अथवा नींव रखने के लिए प्रयुक्त की गई हो।

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(1) (ii) (ए) के अनुसार वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66 ई के खण्ड (बी) के तहत सूचीबद्ध सेवा सहित निर्माण संविदा एवं निर्माण सेवाओं के कार्यान्वयन में सेवा का हिस्सा इनपुट सेवा के रूप में पात्र नहीं है यदि वह (ए) एक भवन अथवा एक सिविल ढाँचे अथवा उसके एक भाग की निर्माण संविदा के कार्यान्वयन अथवा निर्माण अथवा (बी) पूँजीगत माल की सहायतार्थ ढाँचों के निर्माण अथवा नींव रखने के लिए प्रयोग हुआ हो।

3.7.2.1 हल्दिया आयुक्तालय में मै. इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि., हल्दिया रिफानरी ने उपरोक्त नियम प्रावधान के उल्लंघन में सिविल निर्माण कार्यों के लिए प्रस्तुत इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट लिया था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 41.83 लाख (शिक्षा उपकर एवं माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर सहित) की राशि के सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति की गई।

जब हमने यह बताया (अगस्त 2013) तो निर्धारिती ने तथ्य स्वीकार करते हुए केवल ₹ 1.15 लाख ही लौटाए। निर्धारिती, द्वारा भुगतान योग्य ₹ 40.68 लाख की शेष राशि की वसूली नहीं हुई थी। निर्धारिती सेनवेट क्रेडिट की ऐसी

अनियमित प्राप्ति के लिए सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 14 के तहत ब्याज भुगतान करने का भी उत्तरदायी था।

यह ममता बताया गया था (अगस्त 2013)। मंत्रालय/आयुक्तालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

3.7.2.2 कोचीन आयुक्तालय में मै. बीपीसीएल-केआर ने वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान, 01 अप्रैल 2011 से प्रभावी संशोधित सेनवेट क्रेडिट (संशोधन) नियमावली का उल्लंघन करते हुए इनपुट सेवाओं के लिए भुगतान किये गए सेवा कर पर ₹ 20.48 लाख की राशि का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया एवं प्रयोग किया।

जब हमने यह बताया (अक्टूबर 2013), तो आयुक्तालय ने उत्तर दिया (मार्च 2014) कि सिविल कार्यों के लिए सेनवेट क्रेडिट योग्य है जो मरम्मत/पुनरुद्धार संशोधन श्रेणी की हैं। यह भी बताया गया था कि कुल राशि में से ₹ 13.95 लाख सही थे तथा ₹ 0.83 लाख सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(3) के तहत लौटाए गए थे। आयुक्तालय ने आगे बताया कि ₹ 5.68 लाख की एक राशि नवम्बर 2013 में लौटाई गई थी तथा ब्याज का भुगतान प्रतीक्षित था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

3.7.2.3 कोचीन आयुक्तालय में मै. बीपीसीएल-केआर ने 01 अप्रैल 2011 से प्रभावी संशोधित सेनवेट क्रेडिट (संशोधन) नियमावली के उल्लंघन में कर्मचारियों को दी गई परिवहन सुविधाओं, कर्मचारियों के लिए बीमा कवरेज, कैन्टीन में हाउसकीपिंग तथा मरम्मत कार्यों, कर्मचारियों के लिए कल्याण गतिविधियों, सीआईएसएफ स्टाफ को दी गई सुविधाओं, ज्वालागिरि तथा सीआर स्कूल में मरम्मत कार्यों इत्यादि के संबंध में सेवाओं के लिए ₹ 14.29 लाख का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया एवं उपयोग किया।

जब हमने यह बताया (अक्टूबर 2013), आयुक्तालय ने उत्तर दिया (मार्च 2014) कि निर्धारिती ने वर्ष 2010-11 तथा 2012-12 के लिए ₹ 8.97 लाख लौटाए थे तथा ₹ 5.31 लाख की एक राशि वर्ष 2011-12 के लिए सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करने हेतु पात्र थी क्योंकि यह वाटर कूलरों पर एमसी पर ली

गई थी जो प्रत्यक्ष रूप से निर्माण के संबंध में तथा कैन्टीन सुविधाओं पर थी जो फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार अनिवार्य थी।

आयुक्तालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 1 अप्रैल 2011 से इनपुट सेवाओं में प्राथमिक रूप से व्यक्तिगत प्रयोग अथवा एक कर्मचारी की खपत के लिए प्रयुक्त सेवाएँ शामिल नहीं होगी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

3.7.3 दिनांक 1 मार्च 2011 की अधिसूचना के अनुसार, एक भवन अथवा एक सिविल ढाँचे अथवा उसके एक भाग के निर्माण के लिए, अथवा पूँजीगत माल की सहायतार्थ नीव रखने अथवा ढाँचों के निर्माण के लिए प्रयुक्त कार्य संविदा सेवाएँ, निर्माण सेवाएँ एवं वास्तुशिल्पीय पमरामर्शदायी सेवाएँ इनपुट सेवाओं की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आएँगी, अतः 1 अप्रैल 2011 से सेनवेट क्रेडिट हेतु पात्र नहीं थी।

मै. बीपीसीएल-केआर द्वारा निर्माण संविदा तथा निर्माण सेवा फर्मों की नियुक्ति द्वारा एकीकृत रिफाइनरी विस्तारण परियोजना (आईआरईपी) कार्यान्वयन की गई है। 10 मुख्य परियोजना कार्यों की नमूना जाँच से पता चला कि 2 निर्माण संविदा परियोजनाओं के संबंध में (परियोजना 4503490792 साईट ग्रेडिंग, सड़क, ड्रेन तथा आईआरईपी हेतु अन्य विविध कार्य ठेकेदार: ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (आई) लि. एवं आईआरईपी स्थान हेतु पाइलिंग कार्य ठेकेदार: डीबीएम जिओटेकनिक्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड) सेनवेट क्रेडिट (संशोधन) नियमावली, 2011 के प्रावधानों के उल्लंघन में 2012-13 के दौरान ₹ 46.59 लाख की राशि के पाइलिंग कार्य हेतु तथा ₹ 39.88 लाख की राशि के सिविल संरचनागत तथा वास्तुशिल्पीय कार्यों से संबंधित आयोग्य इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया गया तथा प्रयोग किया।

जब हमने यह बताया (अक्टूबर 2013), तो आयुक्तालय ने उत्तर दिया (मार्च 2014) कि निर्धारिती, आवासों/पानी की टंकियों के विनष्टीकरण, पेड़ों की कटाई, ड्रेन एवं पक्की दीवारों के निर्माण सुरक्षा के उद्देश्य से आर आर मैसनरी दीवारों के कार्य पर भुगतान किये गए सेवा कर पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करने तथा उपयोग करने के लिए पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, आयुक्तालय ने पाइलिंग

कार्य से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा ₹ 46.59 लाख की वसूली की सूचना दी।

आयुक्तालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपर दर्शायी गई सभी गतिविधियाँ सिविल निर्माण के तहत आएँगी, अतः 1 अप्रैल 2011 से प्रभावी इनपुट सेवा क्रेडिट हेतु पात्र नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

3.7.4 सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 4(2) (ए) के अनुसार, दिये गए वित्तीय वर्ष में किसी भी समय पर एक फैक्ट्री में प्राप्त पूँजीगत माल के संबंध में सेनवेट क्रेडिट उसी वित्तीय वर्ष में ऐसे पूँजीगत माल पर भुगतान किये गए शुल्क के पचास प्रतिशत से कम की एक राशि के लिए ही लिया जाएगा।

हल्दिया आयुक्तालय में मै. इण्डियन ऑयल पेट्रोनास प्रा. लि. ने पूँजीगत माल (मशीनरी के कलपुर्जों) पर उसी वित्तीय वर्ष (2012-13) में जिसमें यह प्राप्त हुआ था, पूँजीगत माल के मूल्य के 50 प्रतिशत पर अनुमत क्रेडिट के प्रति 100 प्रतिशत क्रेडिट लिया था। इसके परिणामस्वरूप 2012-13 की अवधि के लिए ₹ 9.64 लाख के सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति हुई। निर्धारिती उपरोक्त नियम 14 के तहत ऐसी अनियमितता के लिए ब्याज के भुगतान हेतु भी उत्तरदायी था।

मामला बताया गया था (सितम्बर 2013), मंत्रालय/आयुक्तालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

3.7.5 सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 6(5) प्रावधान करता है कि उप-नियम (1), (2) तथा (3) में दिए गए किसी तथ्य के बावजूद भी, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 के खण्ड (105) के उप-खण्ड (जी), (पी), (क्यू) (आर), (वी), (डब्ल्यू), (जेडए), (जेडएम), (जेडपी), (जेडवाई), (जेडजेडडी), (जेडजेडजी), (जेडजेडएच), (जेडजेडआई), (जेडजेडके), (जेडजेडक्यू) तथा (जेडजेडआर) में विनिर्दिष्ट कर योग्य सेवाओं पर भुगतान किये गए सेवा कर का सारा क्रेडिट अनुमत होगा यदि ऐसी सेवा छूट प्राप्त माल के निर्माण

अथवा छूट प्राप्त सेवा उपलब्ध कराने में अथवा कराने के संबंध में प्रयुक्त ना हुई हो।

उपरोक्त उप-नियम (5) दिनांक 01 मार्च 2011 की अधिसूचना द्वारा 1 अप्रैल 2011 से हटा दिया गया है।

वडोदरा-I आयुक्तालय में मै. इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि. शुल्क योग्य तथा छूट प्राप्त दोनों तैयार माल की निकासी कर रही थी। निर्धारिती के वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के बीजकां तथा इनपुट सेवाओं के सेनवेट क्रेडिट के आरजी-23 की नमूना जाँच से पता चला कि निर्धारिती ने सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियत 6(5) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में वर्ष 2011-12 के दौरान 100 प्रतिशत सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था क्योंकि सेवा उपलब्ध कराने की अवधि 01 अप्रैल 2011 से पहले की थी। यह भी आगे यह देखा गया था कि उपरोक्त सेवाओं के अलावा, निर्धारिती ने समान आधार पर कुछ सेवाओं अर्थात् श्रमबल भर्ती एवं आपूर्ति एजेन्सी सेवा (के), रेन्ट-ए-कैब योजना परिचालक की सेवा (ओ), व्यापार सहायक सेवा (जेडजेडबी), निर्माण संविदाओं के कार्यान्वयन से संबंधित सेवाएँ (जेडजेडजेडजे) तथा साकार माल की आपूर्ति सेवा (जेडजेडजेडजे) के संबंध में 100 प्रतिशत सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था। यद्यपि, ये सेवाएँ सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(5) के अन्तर्गत कवर नहीं थी। अतः निर्धारिती के लिए केवल तैयार माल की निकासी हेतु भुगतान किये गए शुल्क पर आरोप्य सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करना अपेक्षित था। जैसा कि सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित किया गया था, निर्धारिती 2011-12 के दौरान इनपुट सेवाओं के कुल सेनवेट क्रेडिट के 91 प्रतिशत की दर पर सेनवेट प्राप्त करने का पात्र था।

हमने आगे देखा कि सितम्बर एवं अक्टूबर 2012 के दौरान, निर्धारिती ने तैयार माल की निकासी हेतु भुगतान किये गए शुल्क पर आरोप्य 91 प्रतिशत के सेनवेट क्रेडिट के प्रति तीन प्रविष्टियों के मामले में 100 प्रतिशत सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती ने उसी इनपुट सेवा का एक प्रतिशत अधिक सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था जैसे कि उसने 91 प्रतिशत सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया हो (जैसा कि सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित किया गया था, निर्धारिती 2012-13 के दौरान इनपुट सेवाओं के कुल सेनवेट क्रेडिट

के 92 प्रतिशत की दर पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करने का पात्र था, अतः निर्धारिती उन मामलों में 1 प्रतिशत के सेनवेट क्रेडिट का अन्तर प्राप्त करने का पात्र था, जहाँ उसने 91 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त किया था)। 92 प्रतिशत के सभी क्रेडिट के प्रति कुल 101 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त किया गया था।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.12 लाख (उपकर सहित) के सेवा कर के सेनवेट क्रेडिट की अधिक प्राप्ति की गई। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 एवी के तहत ब्याज भी उदग्रहणीय है।

जब हमने यह बताया (अगस्त 2013), आयुक्तालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (फरवरी 2014) तथा सूचित किया कि निर्धारित ने ₹ 5.69 लाख के ब्याज सहित ₹ 16.81 लाख लौटा दिये।

3.7.6 सीसीई, नई दिल्ली बनाम एविस इलैक्ट्रोनिक्स प्रा. लि. के मामले में बड़ी बैंच के निर्णय के मद्देनजर फोटोकॉपी के आधार पर क्रेडिट अस्वीकार्य था।

दिनांक 13 फरवरी 1995 का सीबीईसी परिपत्र (पैरा 10(डी)) भी निर्धारित करता है कि किसी भी परिस्थिति में फोटोकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी।

हमने देखा कि पटना आयुक्तालय में इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि. बरौनी ने कर बीजकों की फोटोकॉपी, जो अयोग्य दस्तावेज हैं, के आधार पर 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान ₹ 13.52 लाख का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था। इसके परिणामस्वरूप अयोग्य दस्तावेजों पर ₹ 13.52 लाख के सेनवेट क्रेडिट की प्राप्ति एवं प्रयोग हुआ।

हमने सितम्बर 2013 में इसे बताया था, मंत्रालय/आयुक्तालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

3.7.7 सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 6(1) निर्धारित करता है कि ऐसे अन्तिम माल के निर्माण में प्रयुक्त इनपुट/इनपुट सेवाओं पर विनिर्दिष्ट शुल्क का कोई क्रेडिट अनुमत नहीं होगा जो छूट प्राप्त है अथवा शुल्क की 'शून्य' दर हेतु प्रभार्य हैं।

रोहतक आयुक्तालय में खनिज तेल/ईंधन के विनिर्माण में लगी मै. आईओसीएल, पानीपत ने विद्युत का सृजन किया। इसे आँशिक रूप से मै.

एयर लिमिटेड इण्डस्ट्रीज वैल्जियम एण्ड ब्रुसेल्स को बेचा गया जिसने आईओसीएल के लिए एक नाफ्था क्रेकर संयंत्र निर्मित किया तथा परिचालित किया तथा आंशिक रूप से संयंत्र में प्रयोग किया गया परन्तु निर्धारिती ने फैक्ट्री में खपत की गई तथा बाहर बेची गई विद्युत के लिए अलग खाता नहीं बनाया था। मै. आईओसीएल ने 2010-11 से 2012-12 के वर्षों के दौरान ₹ 302.89 करोड़ राशि के ऊर्जा प्रभार वसूल किये। इसके लिए प्राप्त किया गया सेनेट क्रेडिट ब्याज एवं शास्ति, जैसा नियमों के तहत उचित हो, सहित निर्धारिती से वसूली योग्य था।

हमने अक्टूबर 2013 में इसे दर्शाया था, मंत्रालय/आयुक्तालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

3.8 ब्याज का अनुद्ग्रहण

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11एबी के अनुसार, जहाँ उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति ने इसका भुगतान नहीं किया अथवा विलम्बित भुगतान किया था, वह शुल्क के अतिरिक्त, समय समय पर प्रचलित दर पर ब्याज का भुगतान करने का उत्तरदायी है। नियत तिथि से अगले दिन से ऐसे शुल्क के भुगतान की तिथि तक की अवधि के लिए ब्याज भुगतान होगा। ब्याज की प्रभावी दर 13 मार्च 2011 तक 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष थीं तथा 1 अप्रैल 2011 से अब तक 18 प्रतिशत है।

इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने दिनांक 28 जुलाई 2003 के परिपत्र द्वारा स्पष्ट किया है कि जहाँ मूल्यों में संशोधन के कारण पूरक बीजक प्रस्तुत किये गए हैं तथा ऐसे पूरक बीजकों के मूल्यों पर अन्तर संबंधी शुल्क प्रस्तुत किये गए हैं, वहाँ धारा 11 एबी के तहत अन्तर संबंधी मूल्य पर ब्याज भी भुगतानयोग्य है।

चार निर्धारितियों- मै. एस्सार ऑयल लि., वाडीनार (राजकोट आयुक्तालय), मै. टिकी टार इण्ड. (बडोदा) लि. (बडोदरा-II आयुक्तालय), मै. आईओसीएल, कोयली (बडोदरा-I आयुक्तालय) तथा मै. अनामिका आयल प्रा. लि., जयपुर (जयपुर आयुक्तालय) ने 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान

अनियमित रूप से प्राप्त किये गए सेनेट क्रेडिट के माध्यम से भुगतान किये गए/विलम्ब से भुगतान किये गए उत्पाद शुल्क पर ₹ 16.78 लाख की राशि के ब्याज का भुगतान नहीं किया था।

जब हमने यह बताया (अगस्त 2013 से अक्टूबर 2013), आयुक्तालय ने मै. एस्सार ऑयल लि. तथा मै. आईओसीएल संबंधित दो मामलों में ₹ 15.93 लाख की वसूली की सूचना दी (अक्टूबर 2013 एवं फरवरी 2014) तथा शेष मामलों में मंत्रालय/आयुक्तालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।